निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 66 / 2021

दायर दिनांक–30 / 11 / 2021

उनवान

1. बालमुकुन्द पिता श्री दुर्गाशंकर उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा।
2. चन्द्रकान्त पिता श्री दुर्गाशंकर उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा।
3. कौशल्या बाई बेवा श्री दुर्गाशंकर उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रेवाशंकर पिता श्री लालशंकर उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा।
2. विनोदचन्द्र पिता श्री देवराम उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा।
3. किशोरीलाल पिता श्री देवराम उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा।
4. पुष्पा देवी पुत्री श्री देवराम (पत्नी श्री लालशंकर) उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी नयागांव तहसील व जिला बांसवाडा।
5. वीणा पुत्री श्री देवराम (पत्नी श्री गणेश जोशी) उम्र व्यस्क जाति ब्राहम्ण निवासी शिवमंदिर की गली ठीकरिया तहसील व जिला बांसवाडा।
6. तहसीलदार बांसवाडा।

(अप्रार्थीगण)

उपस्थितिः–

1.श्री जयेन्द्र पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री देवेन्द्र निगम अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा– 212 आर.टी एक्ट

निर्णय

दिनांकः–27.08.2024

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में प्रार्थना–पत्र बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 से 5 मूल पुरुष श्री

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

किशनलाल श्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी सालिया तहसील व जिला बांसवाडा के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारीसान है

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 से 5 के पूर्वज श्री किशनलाल पिता श्री बृजलाल ब्राह्मण के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 19 के खेत सर्वे नम्बर 142 खेत नाम महुडीवाला रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा लगान 1.11 रुपया, सर्वे नम्बर 154 खेत नाम खेडी महुडीवाला रकबा 8 बीघा लगान 9.00 रुपया ,सर्वे नम्बर 344 खेत नाम कगेरजीवाला रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा लगान 5.08 रुपया, सर्वे नम्बर 375 खेत का नाम राजडुवाला रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा लगान 6.15 रुपया, सर्वे नम्बर 601 खेत का नाम कोडीवाला रकबा 19 बिस्वा लगान 1.17 रुपया, सर्वे नम्बर 202, खेत का नाम हाकियावाला रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा लगान 6.02 रुपया, सर्वे नम्बर 429 खेत का नाम भोरियावाला रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा लगान 9.17 रुपया कुल खेत 8 कुल रकबा 33 बीघा 14 बिस्वा कुल लगान 18.09 रुपया वाके ग्राम सालिया पटवार हल्का सालिया तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित होकर उपरोक्त कृषि भूमि श्री किशनलाल जी काविज होकर काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र श्री गौतम, श्री हिरालाल, श्री लालशंकर, श्री रामनाथ, श्री देवराम, उपरोक्त कृषि भूमि पर काविज हुए। श्री गौतम, श्री रामनाथ लाऔलाद फौत हो गये एवं श्री हिरालाल, श्री लालशंकर एवं श्री देवराम के वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 5 उपरोक्त कृषि भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहे हैं एवं संयुक्त रुप से लगान कर रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 5 के पूर्वज श्री किशनलाल के नाम खतौनी सेटलमेंट सन् 1915–1916 के राजस्व अभिलेख वहैसियत खातेदारी में नाम दर्ज है।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि का दौराने सेटलमेंट भूप्रवंध विभाग के द्वारा नया मिलान क्षेत्रफल कायम किया गया जिसका उल्लेख नक्शा मौजा सालिया सन् 1915 में लाल व काली स्याही से तुलनात्मक सर्वे नम्बर अंकित किये गये एवं सन् 1942 के राजस्व अभिलेख में अंकित साविक सर्वे नम्बर 170 रकबा 8 बीघा एवं सर्वे नम्बर 389 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के हाल सर्वे नम्बर 294 रकबा 0.5259 है0 सर्वे नम्बर 299 रकबा 0.4126 है0, सर्वे नम्बर 295 रकबा 0.3641 है0 एवं सर्वे 298, रकबा 0.4611 है0 कायम किये गये उक्त कृषि भूमि सालिया पटवार हल्का से पृथक पटवार हल्का वनने के कारण पटवार हल्का पाडीकला राजस्व ग्राम पाडीखुर्द में इन्द्राज हुई है।

उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार कृषक श्री किशनलाल की मृत्यु के पश्चात् द्वितीय सेटलमेंट के दौरान श्री किशनलाल के वारिस श्री लालशंकर ने अवैध व अनाधिकृत रुप से उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि के हाल सर्वे नम्बर 223 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, हाल सर्वे नम्बर 359 4 बीघा 7 बिस्वा हाल सर्वे नम्बर 449 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा एवं हाल सर्वे नम्बर 609 रकबा 19 बिस्वा एवं श्री रामनाथ के द्वारा सर्वे नम्बर 170 रकबा 8 बीघा सर्वे नम्बर 389 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा अपने नाम दर्ज करवा ली है। तथा श्री देवराम ने हाल सर्वे नम्बर 442 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा अवैध एवं अनाधिकृत रुप से अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा सर्वे नम्बर 154 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा श्री माणकलाल वल्द श्री नन्दलाल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। इस प्रकार उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता श्री दुर्गाशंकर का नाम दर्ज होने से रह गया। श्री लालशंकर व श्री देवराम एवं श्री रामनाथ की मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण कृषि भूमि के अप्रार्थीगण 1 से 5 के नाम दर्ज हो गयी। परन्तु श्री दुर्गाशंकर के वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 एवं लालशंकर, रामनाथ, देवराम के नाम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में हुये इन्द्राज प्रार्थीगण के हित अधिकारों के

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

विपरीत होकर प्रभाव शुन्य व निरस्तनीय है। तथा ऐसे अवैध इन्द्राज से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हित व हिस्से में स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं जबकि प्रार्थीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में श्री गौतम व रामनाथ के लाऔलाद फौत होने से 1/3 हिस्से के हकदार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 का संयुक्त रुप से 1/3 हिस्सा होकर उसी अनुरुप मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। राज्य सरकार का लगान अदा कर रहे हैं उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदारी में इन्द्राज नहीं होने से 1 से 5 के साथ प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदार कृषक घोषित करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त कृषि भूमि श्री किशनलाल के खातेदारी की होने से तथा पैतृक कृषि भूमि होने से तथा प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 का संयुक्त रुप से 1/3 हिस्सा होकर उसी अनुरुप मौके पर काबिज काश्त कर रहे हैं व लगान अदा कर रहे हैं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 उपरोक्त हित व हिस्से अनुसार मौके पर राजस्व अभिलेख में उपरोक्तानुसार विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी होने से तथा पृथक खाते कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने हिस्से पर नियमित रुप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। परन्तु उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के नाम अवैध इन्द्राज होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से अवैध व अनाधिकृत रुप से प्रवेश व उक्त कृषि भूमि हमारे खाते में दर्ज हो गयी है प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकिया दे रहे हैं। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना–पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संबंध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करे। न ही प्रार्थीगण को बेदखल करे और कृषि भूमि का अन्तरण नहीं करने हेतु तथा न ही ऐसा कृत्य किसी अन्य से कराने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करन हेतु प्रार्थना–पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी हमारी पैतृक है। हम प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण किशनलाल के वारिसान है। किशनलाल के पांच पुत्रों में से 2 लाआलौद फौत हो जाने पर शेष तीन हीरालाल, लालशंकर, देवराम का प्रश्नगत आराजी में 1/3, 1/3 हिस्सा निहित हो गया। किशनलाल की मृत्युउपरान्त दौराने भूप्रबन्ध हम प्रार्थीगण के पिता/पति के पूर्वज हीरलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं कर हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया जो कि भूप्रबंधन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से परे था। पैतृक सम्पत्ति में हमारे अधिकारों के निहित होते हुए पंजीकृत दस्तावेज प्रभावहीन है हम अजननी न होकर घोषणा के हकदार अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधित करते हुए स्थाई किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 7 श्री देवेन्द्र निगम ने प्रत्युत्तर में जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी हीरालाल की पैतृक है इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया है किशनलाल की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नाम इन्तकाल खुला तथा सहखातेदारों के मध्य विभाजन भी हो चुका था तत्समय हीरालाल व बाद में दुर्गाशंकर ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की 12 वर्ष की मियाद अवधि भी पूरी हो जाने से दावा बावत् विभाजन पोषणीय नहीं है। किशनलाल की पाडीखुर्द में अन्य जमीन भी है। रेवाशंकर 1976 आदिनांक जमीन का खातेदार है जिसकी भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुयी।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने पुनः बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने जवाब में पुश्तैनी होना स्वीकार किया हीरालाल किशन का पुत्र है।

अप्रार्थी अधिवक्ता के मियाद का प्रश्न है घोषणा के बाद में कोई सीमा नहीं होती है 12 वर्ष का प्रावधान लागू नहीं होता है साथ ही 1976 में नामान्तरण दान पत्र संबंधी दस्तावेज भी अपख्क्षार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये है।

हम हमारी पैतृक संबंधी में हक की घोषणा के लिए अनुतोष चाहते हैं अतः प्रश्नगत आराजी पर विरुद्ध अप्रार्थीगण कब्जेकाश्त में बाधा, अतिक्रमण बेदखली अन्तरण न करने व न किसी अन्य से से करवाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद फरमावे जावें।

निष्कर्षतः प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी होने एवं वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन होने से न्याय निर्णयन वाद के साक्ष्य इत्यादि लिये जाने के उपरान्त तय होकर अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

–:क्रियात्मक आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 24.07.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रार्थना–पत्र 151,152,153 को समाहित करते हुए अनुतोष पैरा में अंकित खसरा नम्बरान् खसरा नंबर 170 रकबा 8 बीघा, 359 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, 389 रकबा 5–08 बीघा 609 रकबा 19 बिस्वा, 223 रकबा 2–06 बीघा, 442 रकबा 4–19 बीघा 449 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा तथा पटवार हल्का सालिया खसरा नंबर 294 रकबा 0.5259 है0, 299 रकबा 0.4126 है0 295 रकबा 0.3641 है0, 298 रकबा 0.4611 है0 ग्राम पाडीखुर्द पर विरुद्ध प्रतिवादीगण मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल मूलवाद के साथ शामिल है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा